

2023/223

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

5/2023

महोदय,

रिपोर्ट पटवारी व गु.अ.नि.


प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

उपरोक्त विषय में जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-


श्रीमानजी पं० ट० दंडापुर के राजस्य ग्राम नांगलभीम के भूमि खाता सं. 57 में प्राचीन खातेदारान् यथा नानगराम पुत्र रेखाराम व मंगलाराम पुत्र रेखाराम जाति माली कुल के हैं। मुताबिक प्राचीन अर्थात् कुमर सेनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा प्राचीन मंसूफ सेनी के मंसूफ प्रमाण पत्र, ग्राम मंसूफ नांगलभीम के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के प्राचीन खातेदारों नानगराम व मंगलाराम के पिता का नाम रामगोपाल अंकित है।

अतः प्राचीन द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व सहमति स्वरूप सहखातेदारों ने भी रेखाराम व रामगोपाल दोनों को एक ही खाति देना पतासा है।

अतः श्रीमानजी राजस्य ग्राम नांगलभीम के भूमि खाता सं. 67 में खातेदारान् नानगराम पुत्र रेखाराम व मंगलाराम पुत्र रेखाराम के पिता का नाम नानगराम पुत्र रामगोपाल व मंगलाराम पुत्र रामगोपाल जाति माली कुल लिया जाना उचित है।

ह. म.अ.नि. 
कैम्प नानगराम

LR-48
04/05/23

ह. हल्का 
05/05/23
प. 21113


रिपोर्ट / अभिशंका तहसीलदार / नायब तहसीलदार


श्रीमानजी मुताबिक रिपोर्ट पटवार हल्का एवं मू० अ० नि० जांच के ग्राम नांगलभीम के खाता सं. 57 में खातेदारों का नाम नानगराम पुत्र रेखाराम व मंगलाराम पुत्र रेखाराम जाति माली अर्थात् कुल है। मुताबिक पंचायती रिपोर्ट एवं मंसूफ दस्तावेजों के आधार पर खातेदारों का नाम नानगराम पुत्र रामगोपाल व मंगलाराम पुत्र रामगोपाल जाति माली कुल लिखा जाना उचित है।

तहसीलदार / नायब तहसीलदार (मू.अ.)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदेश (कैम्प दिनांक 4/5/2023 मुख्यालय ग्राम पंचायत नांगलभीम)

मुताबिक पटवारी मू.अ.नि. रिपोर्ट संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार की अभिशंका के अनुसार नांगलभीम के खाता सं. 57 में दर्ज नानगराम मंगलाराम पुत्र रेखाराम के स्थान पर प्राचीनों के पिताजी का नाम रामगोपाल दर्ज करवाना चाहते हैं। नामों के काफ़ी मिलान होने पर प्राचीन सख्तों के अज्ञान से प्राचीन पत्र व दस्तावेज लिखा जाता है।

पालनार्थ:- तहसीलदार / नायब तहसीलदार 

शिविर प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी- 
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर